बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

श्रीमती कविता कुमारी तत्कालीन श्रम अधीक्षक, जमुई–सह–लखीसराय सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त कटिहार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी लखीसराय से प्राप्त प्रपत्र 'क' एवं उसपर श्रमायुक्त बिहार के पत्रांक 2222 दिनांक–11.06.2012 द्वारा प्राप्त संशोधित प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आधार पर विभागीय संकल्प संख्या–1816 दिनांक–28.06.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव श्रम संसाधन विभाग नियुक्त किये गये। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी का स्थानान्तरण स्वास्थ्य विभाग में हो जाने के फलस्वरूप संशोधित संकल्प संख्या–415 दिनांक–14.02.2013 द्वारा श्रीमती इन्दु सिंह, उप सचिव श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्रीमती कविता कुमारी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों पर संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में उनके विरूद्ध लगाये गये सभी छः(06) आरोपों को प्रमाणित पाया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर श्रीमती कविता कुमारी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। जिसके जबाब में श्रीमती कविता कुमारी द्वारा पूर्व की बातों को दोहराया गया और छः आरोपों में मात्र दो आरोपों पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिसमें विभागीय समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्रीमती कविता कुमारी वास्तव में लखीसराय के श्रम अधीक्षक के प्रभार में थी और जॉच पदाधिकारी ने इसकी पुष्टि जॉच प्रतिवेदन में की है।

अतएव सरकार के सम्यक समीक्षोपरान्त श्रीमती कविता कुमारी के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में दोष सिद्ध होने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग–V कंडिका–14 की उप कंडिका–V के तहत लघु दण्ड के रूप में उनकी दो वेतन वृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड विभागीय संकल्प संख्या–4481 दिनांक–04.12.2013 द्वारा अधिरोपित किया गया।

विभागीय कार्यवाही में पारित उक्त निर्धारित दण्ड पर पुनर्विलोकन एवं दण्ड संसूचन से मुक्त किये जाने संबंधी माननीय मुख्य मंत्री सह प्रभारी मंत्री श्रम संसाधन विभाग को सम्बोधित अभ्यावेदन श्रीमती कविता कुमारी सहायक श्रमायुक्त कटिहार के ज्ञापांक–16 दिनांक 13.01.2014 द्वारा प्राप्त हुआ।

उक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में निर्णयानुसार श्रीमती कविता कुमारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्रीमती कुमारी से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पर जिला पदाधिकारी लखीसराय एवं श्रमायुक्त बिहार से स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

उक्त दोनो पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि चूँकि जिला पदाधिकारी लखीसराय के पत्र द्वारा प्रासंगिक मामले में श्रम अधीक्षक मुंगेर को निदेश दिया जाता रहा है एवं यह विषय श्रीमती कविता कुमारी के संज्ञान में नहीं रहा। अतः उनके विरूद्ध आरोप वैद्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रासंगिक मामले में श्रीमती कविता कुमारी से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी पर जिला पदाधिकारी लखीसराय एवं श्रमायुक्त बिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में संदेह का लाभ देते हुए उनके पुनर्विलोकन याचिका पर विचार कर उन्हें दिये गये दण्ड से मुक्त करने का निर्णय लिया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्रीमती कविता कुमारी, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, जमुई–सह–लखीसराय, सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, कटिहार को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

18.7.14

(देव नन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव

17/7/14

लगातार.........

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 16/2011 श्र0सं0– 2825 पटना, दिनांक– 18.09.14

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध करायें।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 16/2011 श्र0सं0– 2825 पटना, दिनांक– 18.09.14

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

निबंधित

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 16/2011 श्र0सं0– 2825 पटना, दिनांक– 18.09.14

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, समहरणालय कोषागार, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

निबंधित

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 16/2011 श्र0सं0– 2825 पटना, दिनांक– 18.09.14

प्रतिलिपि– प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर को विभागीय ज्ञापांक 4481 दिनांक 4.12.13 के प्रसंग में/जिला पदाधिकारी लखीसराय को उनके पत्रांक 352/सा. दिनांक 5.5.14 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 16/2011 श्र0सं0– 2825 पटना, दिनांक– 18.09.14

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विशेष विभाग को विभागीय ज्ञापांक–4481 दिनांक–4.12.13 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

निबंधित

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 16/2011 श्र0सं0– 2825 पटना, दिनांक– 18.09.14

प्रतिलिपि– श्रीमती कविता कुमारी, तत्कालीन श्रम अधीक्षक जमुई सह लखीसराय सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त कटिहार कों सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 16/2011 श्र0सं0– 2825 पटना, दिनांक– 18.09.14

प्रतिलिपि– सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ श्रमायुक्त, बिहार, पटना /अपर सचिव, प्रशाखा–1 एवं गोपनीय चारित्री/अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव/अवर सचिव/लोक सूचना पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–6 श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना को 05 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 16/2011 श्र0सं0– 2825 पटना, दिनांक– 18.09.14

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 16/2011 श्र0सं0– 2825 पटना, दिनांक– 18.09.14

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव